v/;k;&III % jkT; mRikn

3-1 y[kkijh{kk d ifj.kke

वर्ष 2005–06 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 2,659 मामलों में 149.90 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला जो समान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

¼djkM #i; e½

Øe l-	J.kh	ekeyk dh l[;k	jkf'k
1	उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना	729	34.31
2	अनुज्ञप्ति शुल्क का वसूली नहीं होना	135	0.76
3	अनधिकृत रियायत के कारण अदेय वित्तीय लाभ	02	0.04
4	अन्य मामले	1,793	114.79
	dy	2]659	149-90

वर्ष 2005–06 की अवधि में विभाग ने 83 मामलों में अन्तर्निहित 1.08 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया इसमें से छः मामलों में अन्तर्निहित 55.92 लाख रुपये वर्ष 2005–06 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बतलाये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 26.91 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित है :

3-2 mRikn ndkuk dh cUnkcLrh ugh fd;s tkus dh dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब (दे श), मसालेदार देशी शराब (म दे श) और भारत निर्मित विदेशी शराब (भा नि वि श) के खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दूकानों को अनुज्ञप्ति शुल्क की शर्त्तो के अधीन नीलामी की प्रक्रिया पर रखा जाता हैं। जब रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से जिला समाहर्त्ता, उससे कम शुल्क भी स्वीकार कर सकते हैं। अबन्दोवस्त दूकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के लिए उत्पाद आयुक्त ने जून 1995 में अनुदेश भी जारी किये।

3-2-1 सात उत्पाद जिलों[1] में मार्च एवं अगस्त 2005 में यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 के दौरान 75 उत्पाद दूकान (37 दे श दूकान, 26 म दे श दूकान, 12 भा नि वि श दूकान) अबन्दोवस्त पड़े थे और विभागीय स्तर पर संचालित नहीं थे। इसके फलस्वरूप वर्ष 2003–04 के लिए संबंधित उत्पाद दूकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर संगणित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 4.81 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मार्च एवं अगस्त 2005 के बीच बतलाये जाने के बाद अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद ने अप्रील 2005 एवं मार्च 2006 के दौरान अपने उत्तर में कहा कि समूचित प्रयास करने के बावजूद भी डाककर्त्ताओं के नहीं आने के कारण दूकानों की बन्दोवस्ती नहीं की जा सकी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राजस्व के हित में, रक्षित शुल्क को कम करते हुए या तो दूकानों की बन्दोबस्ती अथवा उन्हें विभागीय स्तर पर चलाने का प्रयास नहीं किया गया।

मामले सरकार को सितम्बर 2005 एवं अप्रील 2006 के बीच प्रतिवेदित किए गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

3-2-2 अक्टूबर 2003 में निर्गत अनुदेश के द्वारा उत्पाद आयुक्त ने अबन्दोबस्त दूकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के जून 1995 के अनुदेशों को वापस ले लिया और सभी समाहर्त्ता को यह निदेश दिया कि बन्दोवस्ती के प्रारंभ में अलाभकारी दूकानों की स्थिति की समीक्षा कर समूह में बन्दोवस्त करने के लिए उसे लाभकारी दूकानों के साथ सम्मिलित किया जाए।

अप्रील 2005 एवं मार्च 2006 के बीच 18 उत्पाद जिलों[2] में यह देखा गया कि 300 उत्पाद दूकान (143 दे श की दूकान, 104 म दे श की दूकान, 53 भा नि वि श की दूकान) वर्ष 2004–05 के दौरान अबन्दोवस्त पड़े थे। अभिलेखों के नमूना जाँच में यह नहीं पता लगा कि अलाभकारी दूकानों के स्थिति की समीक्षा की गई एवं उन्हें लाभकारी दूकानों के साथ सम्मिलित कर बन्दोवस्ती का प्रयास भी किया गया। इसके फलस्वरूप संबंधित दूकानों हेतु निर्धारित रक्षित शुल्क एवं न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर संगणित क्रमशः अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 19.65 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

अप्रील 2005 एवं मार्च 2006 के बीच बतलाये जाने के बाद अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद ने कहा कि दूकानों की बन्दोबस्ती हेतु सभी प्रयास किए गये थे। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अक्टूबर 2003 के अनुदेशों के बावजूद अलाभकारी दूकानों

---

[1] *अररिया सह किशनगंज, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, समस्तीपुर, सारण, सीवान*

[2] *अररिया सह किशनगंज, भागलपुर सह बाँका, भोजपुर सह बक्सर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद सह अरवल, मुंगेर सह जमुई सह शेखपुरा सह लक्खीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास सह कैमूर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान एवं पश्चिम चम्पारण*

को लाभकारी दूकानों के साथ सम्मिलित कर उन्हें बन्दोबस्त करने का प्रयास नहीं किया गया था।

मामले सरकार को मार्च एवं मई 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

3-3 fujLrhdj.k ds ckn mRikn nqdkuksa dh cUnkscLrh ugha fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh gkfu

दूकानों की बन्दोबस्ती के लिए विभाग द्वारा जून 2004 में निर्गत बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या 14 (ख) के अन्तर्गत सफल डाक कर्त्ता को डाक के तुरंत बाद छः महीनों का अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होता है। अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के बीच समान मासिक किस्तों में हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को दे श, म दे श, भा नि वि श तथा बीयर का स्वीकृत न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव प्रत्येक महीने के अन्तिम दिन तक करना है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त/निलंबित कर दिया जायेगा एवं दूकानों को दुबारा बन्दोबस्त किया जायेगा। कोई हानि यदि हो, तो उसे भू–राजस्व के बकाये की तरह चूककर्त्ता से वसूला जायेगा।

अप्रील एवं दिसम्बर 2005 के बीच पाँच उत्पाद जिलों[3] में देखा गया कि 38 उत्पाद दूकानों (20 दे श, 15 म दे शे, 3 भा नि वि श) की अनुज्ञप्तियाँ, खुदरा अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नहीं किए जाने तथा न्यूनतम गारंटी कोटा से कम उठाव करने के कारण जुलाई 2004 एवं जनवरी 2005 के बीच निरस्त कर दिया गया था। निरस्तीकरण के पूरे वर्ष दूकाने अबन्दोवस्त पड़े रहें। इसके फलस्वरूप सम्बन्धित उत्पाद दूकानों के लिये न्यूनतम गारंटी कोटा तथा निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 1.50 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बतलाये जाने के बाद अप्रील तथा दिसम्बर 2005 के बीच विभाग ने कहा कि सभी प्रयासों के बावजूद दूकानों की बन्दोवस्ती नहीं की जा सकी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से यह पता चला कि राजस्व के हित की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा दूकानों की पुर्ननीलामी या निरस्तीकृत उत्पाद दूकानों के क्षेत्र में रक्षित शुल्क को कम करते हुए पुनः बन्दोवस्ती का प्रयास नहीं किया गया था।

मामले सरकार को फरवरी एवं अप्रील 2006 के बीच प्रतिवेदित किए गये; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

3-4 vfxze vuqKfIr Qhl ds Hkqxrku esa pwd ds dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों में प्रावधान है कि उत्पाद दूकानों के नीलामी के समय जिस व्यक्ति की डाक पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है उसे तुरंत छः माह का अग्रिम अनुज्ञाप्ति शुल्क जमा करना होता है। इससे विफल होने पर अनुज्ञप्ति रद्द किया जाएगा एवं जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और अगर जरूरी हो तो सरकार को होने वाली कोई भी हानि, यथा दूकान की कम कीमत पर पुनः बिक्री करने अथवा दूकान अबंदोवस्त रहने के कारण हुई हो, की वसूली चूककर्त्ता से की जाएगी। तदन्तर, अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि दूकान के रक्षित मूल्य के समतुल्य जमानत राशि डाक कर्त्ता द्वारा जमा किया जाना है।

[3] *पू0 चम्पारण (मोतिहारी), गोपालगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर और सीवान*

मई 2005 एवं फरवरी 2006 के बीच पाँच उत्पाद जिलों[4] में पाया गया कि बन्दोबस्ती वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के लिए 31 उत्पाद दूकान (21 दे श, 4 म दे श और 6 भा नि वि श) हेतु डाककर्त्ता ने छः माह का अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में विफल रहे। जून एवं नवम्बर 2004 के बीच उत्पाद अधीक्षक, कटिहार, मुंगेर सह जमुई सह लक्खीसराय सह शेखपुरा एवं सारण द्वारा 31 में से 25 उत्पाद दूकानों को रद्द कर दिया गया था एवं शेष दूकानों को उत्पाद अधीक्षक, अररिया सह किशनगंज एवं गया द्वारा रद्द नहीं किया गया था। उपर वर्णित रद्द दूकानों में से केवल एक दूकान दिनांक 6 नवम्बर 2004 को अपर उत्पाद आयुक्त, गया द्वारा पूर्नबन्दोबस्त कर दिये गये थे। इसके फलस्वरूप संबंधित उत्पाद दूकानों के लिए निर्धारित मासिक अनुज्ञप्ति फीस एवं न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर संगणणित 94.95 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बतलाये जाने के बाद फरवरी 2006 में उत्पाद अधीक्षक, कटिहार ने कहा कि दूकानों के अलाभकारी होने के कारण उनकी बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी। अन्य उत्पाद अधीक्षकों/अपर उत्पाद आयुक्त के उत्तर प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2006)।

मामला सरकार को मार्च एवं मई 2006 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

[4] *अररिया सह किशनगंज, गया, कटिहार, मुंगेर सह जमुई सह लक्खीसराय सह शेखपुरा और सारण*